

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

// विविध-आदेश //

(कार्य-विभाजन में संशोधन)

क्रमांक.....75/

दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 23/04/2026

माननीय रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 329/गोपनीय/2026/दो-2-1/2026 जबलपुर दिनांक 03.04.2026 के द्वारा श्रीमती अनु सिंह, 17 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा का स्थानांतरण Faculty Member (Junior-1) एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में होने एवं माननीय रजिस्ट्री के आदेश क्रमांक 327/गोपनीय/2026/दो-2-1/2026 जबलपुर दिनांक 03.04.2026 के द्वारा श्री सुधांशु सिन्हा को 17 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के पद पदस्थापित किये जाने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-8 की उपधारा-7 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक सी/633/तीन-6-6/84-II जबलपुर दिनांक 18.02.2021 एवं ज्ञापन क्रमांक ए/3452 जबलपुर दिनांक 04.09.2022 के आलोक में पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 448/दो-1-1/2000 दिनांक 22.07.2025 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा :-

01. सरल क्रमांक 19 में निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

क.	न्यायालय का प्रकार	क्षेत्राधिकार	प्रकरण का प्रकार जिनकी सुनवाई तथा निराकरण किया जाना है
19	श्री सुधांशु सिन्हा, 17 वें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा	सिविल खण्ड	प्रधान जिला न्यायाधीश रीवा द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण व उनसे उद्भूत होने वाले निष्पादन एवं विविध प्रकरण।
		सत्र खण्ड	1. यथा समय सत्र न्यायाधीश रीवा द्वारा अंतरित सत्र प्रकरण, दाण्डिक अपीलें, दाण्डिक पुनरीक्षण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां व आवेदन पत्र। 2. जिला मुख्यालय रीवा के समस्त थाना क्षेत्र के महिलाओं के विरुद्ध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध (जैसे रेप, गैंगरेप, मर्डर विथ रेप एवं अन्य अपराध) के समस्त प्रकरण उपार्षण पश्चात् अंतरण पर प्राप्त एवं उनसे संबंधित विविध कार्यवाहियां। (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों को छोड़कर)

शेष आदेश यथावत रहेगा।

sd/r
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (म0प्र0)

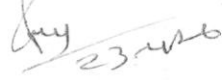
1405
2

पृष्ठांकन क्रमांक.....2085/
दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 23/04/2026

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
4. जू0सि0प्र0/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग रीवा
की ओर वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)